

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, the 23rd January, 2018

S.O. _____(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 26th January, 2018 as the date on which the provisions of section 1 and section 4 of the said Act shall come into force.

[File No. 1 /1 /2018-CL.I]


(K.V.R. Murthy)

Joint Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

का.आ.(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 26 जनवरी, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1 और धारा 4 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल.।]

के.वी.आर.मूर्ति
23/01/18
(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव भारत सरकार